



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E-mail: bsgmadhypradesh@gmail.com Phone: 0751 2661263, Fax: 2737446

पत्र क्र. १८०४ /रामु/ प्रश्नोस्का०/२०१५ – १६
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०/०६/२०१५

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिशनर स्काउट/ गाइड
जिला (म०प्र०) ।
- 2 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/ गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय (म०प्र०) ।

विषय :- सेल्फलर्निंग मॉडलुर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बाबत् ।

सन्दर्भ :- राज्य स्तरीय ए०ए०स०ओ०स०/ डी०ओ०स० की समीक्षा बैठक दिनांक 26 व 27 जून 2015
में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ।

—०—

विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिला एवं
विकास खण्ड स्तर पर सेल्फ लर्निंग मॉडलुर शिविर दिनांक 20 से ३० जुलाई 2015 के मध्य
आयोजित कर सूची एवं प्रतिवेदन दिनांक 31 जुलाई 2015 तक ईमेल से प्रेषित करें ।

सेल्फ लर्निंग मॉडलुर शिविर में प्रतिभागियों से पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रु० 100/- प्रति सदस्य लिया जावे । जिसमें से ५० प्रतिशत स्वत्पाहार एवं ५० प्रतिशत की राशि राज्य
मुख्यालय के खाते में जमा कर जमा पर्ची की पावती प्रतिवेदन एवं सूची के साथ संलग्न कर
अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

सेल्फ लर्निंग मॉडलुर शिविर में समस्त शासकीय/ अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक
विद्यालय/ हाईस्कूल/ उ०मा०विद्यालय/ आवासीय विद्यालय एवं आदिवासी/ अनुसूचित जाति
छात्रावासों के अधीक्षक/ शिक्षक भाग ले सकेंगे । अशासकीय विद्यालय से कम से कम ५० प्रतिशत
शिक्षक/ शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें ।

सेल्फ लर्निंग मॉडलुर शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा—

- 1 प्रतिभागी विद्यालय के स्काउट—गाइड निधि से राशि रु० 100/- प्रति सदस्य शिविर
स्थल पर जमा कराया जाना है । उक्त 100/- रुपये में से २५/- रुपये की
नोटबुक, पेन एवं स्वत्पाहार में व्यय किया जावेगा एवं २५/- रुपये की राशि में से
पाठ्यक्रम के बिन्दुवार जानकारी की छायाप्रति प्रति प्रतिभागियों को दी जावेगी ।
- 2 शिविर का संचालन लीडर ट्रेनर (स्काउट) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट) द्वारा
किया जावेगा । सहायक के रूप में हिमालय वुड बैज (स्काउट) / डी०ओ०स०
(स्काउट) को लिया जावेगा । जिस जिले लीडर ट्रेनर (स्काउट) एवं सहायक लीडर
ट्रेनर (स्काउट) नहीं है वहाँ ए०ए०स०ओ०स० स्वयं करें ।

- 3 सेल्फ लनिंग मॉडलुर शिविर में संचालक द्वारा देने वाले हेण्डआउट की फाईल पूर्व से ही आवश्यकता अनुसार तैयार कर शिविर स्थल में की जावें। हेण्डआउट प्रति विकास खण्ड 50 की संख्या में लेकर जावें एवं आवश्यकता पड़ने पर शिविर स्थल में छाया प्रति करा लिया जावें।

—: निर्धारित पाठ्यक्रम :—

- 1 स्काउटिंग का उद्देश्य ।
- 2 स्काउटिंग के नीति नियम एवं सिद्धांत ।
- 3 स्काउटिंग की उत्पत्ति एवं प्रसार ।
- 4 स्काउटिंग की विभिन्न शाखायें एवं विधि ।
- 5 स्काउट-गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण ।
- 6 यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण ।
- 7 स्काउटिंग और संगठन ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक ३०/०६/२०१५

पृ० क्र०/2805/रामु//प्रशि०स्का०/2015 -16

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु—

- 1 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतमनगर भोपाल ।
- 2 आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 3 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग(म०प्र०) ।
- 4 संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास(म०प्र०) ।
- 5 जिला सचिव/जिला संगठक/प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट/गाइड)(म०प्र०) ।
- 6 समस्त लीडर ट्रेनर (स्काउट) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट) मध्यप्रदेश ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश